ब्यावर में स्प्रीट से अवैध अंग्रेजी शराब बनाने की फैक्टरी पकड़ी

चार अभियुक्त गिरफ्तार, शराब परिवहन के उपयोग में लाया जा रहा टेम्पो जब्त

ब्यावर, (निसं)। ब्यावर में स्प्रीट से अवैध अंग्रेजी शराब बनाने की फैक्टरी पकड़ी है। वहीं पुलिस ने चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया तथा शराब परिवहन के उपयोग में लाया जा रहा टेम्पो जब्त किया है। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में स्प्रीट से निर्मित अंग्रेजी शराब, मशीनें, खाली बोतलें, पव्वे तथा देशी-विदेशी अंग्रेजी शराब के लेबल बरामद किये। बताया जा रहा है कि किराये के मकान में फैक्टरी लगाकर अन्दर स्प्रीट से निर्मित अंग्रेजी शराब का कारखाना लगा रखा था।

जिला पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह आई.पी.एस. के निर्देशन में वृताधिकारी राजेश कसाना के निकट सुपरविजन में कार्रवाई करते हुए जिला स्पेशल टीम तथा थानाधिकारी साकेत नगर बलभद्र सिंह ने स्प्रीट से अंग्रेजी शराब बनाने की अवैध फैक्टरी से 38 कार्टून स्प्रीट निर्मित अंग्रेजी शराब व शराब निर्माण में काम आने वाली मशीनें, खाली बोतलों तथा परिवहन में प्रयुक्त टेम्पो को जब्त कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया।

जानकारी के अनुसार बुधवार को सांय डीएसटी टीम को सूचना मिली कि साकेत नगर थाना इलाके में कुछ लोगों ने एक किराये के मकान में अवैध शराब बनाने की फैक्टरी लगा रखी है और वहां भारी मात्रा में स्प्रीट से निर्मित अवैध शराब मिल सकती है। इस पर जिला स्पेशल टीम थानाधिकारी साकेत नगर बलभद्र सिंह पुलिस निरीक्षक ने मय टीम कृष्णा कॉलोनी पहुंचे जहां पर भरत भाई तेली के मकान में टीम ने दबिश दी तो मकान में चल रही अवैध शराब की फैक्टरी मिली, जहां भारी मात्रा में अवैध स्प्रीट निर्मित अंग्रेजी शराब व देशी व अंठोजी शराब की बोतलें, पव्वे, शराब निर्माण करने की सामग्री मशीनें, स्प्रीट के खाली ड्रम, शराब की बोतलों पव्वों पर लगाने के लेबल व परिवहन में प्रयुक्त एक लौडिंग टेम्पो भी मिला।

वहां पर शैलेन्द्र सिंह राठौड़ उर्फ शेरू पुत्र भगवानसिंह रावणा राजपूत निवासी महादेव कॉलोनी आईओसी कॉलोनी के पीछे सेन्दडा रोड, योगेश भाण्ड पुत्र नारायण लाल भाण्ड निवासी बिलातों का बाड़िया चांग, दीपक कुमावत पुत्र रामचन्द्र कुमावत निवासी कुमावत कॉलोनी फतेहपुरिया दोयम, विक्रम पुत्र शंकरलाल भाण्ड निवासी बिलातों का बाड़िया चांग मिले, जिनके कब्जे से सभी सामग्री बरामद की गई। गिरफ्तारशुदा मुलजिम शैलेन्द्र सिंह राठौड़ उर्फ शेरू ने मकान किराये पर लेकर मकान के अन्दर शराब निर्माण करने की फैक्टरी लगाकर भारी मात्रा में अवैध स्प्रीट से अंग्रेजी व देशी शराब का निर्माण कर उन पर विभिन्न ब्राण्ड की कम्पनियों के लेबल लगाकर बाजार में बेच रहे थे। आरोपियों के विरूद्ध थाना साकेत नगर में आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर पूछताछ की जा रही है।

आरोपियों द्वारा शराब बनाने के लिये बड़ी मात्रा में स्प्रीट तथा अन्य सामान कहां से ला रहे थे इस संबंध में भी गहनता से पूछताछ जारी है। मुलजिम शैलेन्द्र सिंह राठौड व योगेश भाण्ड के विरूद्ध पूर्व में भी लूट, मारपीट व शराब तस्करी के आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं।

जिला स्पेशल टीम तथा साकेत नगर थाना पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया।

- भारी मात्रा में स्प्रीट से निर्मित अंग्रेजी शराब, मशीनें, खाली बोतलें, पव्वे तथा देशी-विदेशी अंग्रेजी शराब के लेबल बरामद किये
- किराये के मकान में अन्दर लगा रखा था स्प्रीट से निर्मित अंग्रेजी शराब का कारखाना

साइबर ठगी मामले में तीन आरोपी गिरफ्तार

1 करोड़ 81 लाख 16 हजार रूपए का हिसाब मिला

बालोतरा पुलिस ने साइबर ठगी के मामले में तीन जनों को गिरफ्तार किया।

बालोतरा, (निसं)। बालोतरा पुलिस व डीएसटी टीम ने गुरुवार को साइबर ठगी के मामले में तीन जनों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने साइबर ठगी में प्रयुक्त पांच मोबाइल, नेटवर्क राउटर, विभिन्न बैंकों के एटीएम, पासबुक, चैक बुक, हिसाब-किताब रजिस्टर व 1 करोड़ 81 लाख 16 हजार 922 सौ रूपए का हिसाब जब्त कर साइबर ठगी के तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया।

बालोतरा पुलिस अधीक्षक कुंदन कंवरिया ने बताया कि पुलिस मुख्यालय द्वारा साईबर ळापराधों की रोकथाम, साईबर अपराध प्रकरणों, परिवादों के त्वरित निस्तारण एवं साइबर जागरूकता के लिए चलाये जा रहे विषेष अभियान "साईबर शील्ड" के तहत गोपालसिंह भाटी आरपीएस, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालोतरा एवं सुशील मान आरपीएस, वृताधिकारी बालोतरा के निकटतम सुपरविजन में ओमप्रकाश निपु. थानाधिकारी बालोतरा के नेतृत्व में गठित टीम व डीएसटी बालोतरा की सूचना अनुसार साइबर ठगी में उपयोग लिये जा रहे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, विभिन्न बैंकों के एटीएम, बैंक डायरियां, करोड़ों के हिसाब-किताब सहित आरोपी भंवरलाल, लक्ष्मण कुमार व आईदानराम को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जानकारी के अनुसार आठ जनवरी को डीएसटी बालोतरा से सूचना प्राप्त हुई कि जरखेश्वर बगीची से आगे एक किराये के मकान में तीन युवक मोबाइल फोन, नेट का राउटर, बैंक चैक बुकें, एटीएम कार्ड इत्यादि सामग्री के साथ साइबर ठगी का काम कर रहे है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस थाना बालोतरा की पुलिस टीम द्वारा जरखेश्वर बगीची के पास रहवासीय मकान पर दबिश देकर आरोपी भंवरलाल, लक्ष्मण कुमार व आईदानराम को गिरफ्तार किया गया।

आरोपी द्वारा षड़यंत्रपूर्वक योजना बनाकर धोखाधड़ी करने के आशय से ऑनलाईन सोशल साईट, इंटाग्राम व फैसबुक एड आदि पर कस्टमरों को गैम खेलने का झांसा देकर उन्हें प्रेरित कर मोबाइल उपकरणों का उपयोग कर रूपये हड़पना पाया जाने पर प्रकरण दर्ज किया गया। आरोपियों से साइबर ठगी के संबंध में जांच जारी है। पुलिस ने भंवरलाल पुत्र गेनाराम जाट निवासी दानपुरा पुलिस थाना गिड़ा जिला बालोतरा, लक्ष्मण कुमार पुत्र नगाराम जाट निवासी पटाली नाडी, रतेउ पुलिस थाना गिड़ा जिला बालोतरा, आईदानराम पुत्र तुलछाराम जाट सिंगोड़िया पुलिस थाना नागाणा जिला बाड़मेर को गिरफ्तार किया है।

- पुलिस ने एक रहवासी मकान में दबिस देकर तीनों आरोपियों को पकड़ा
- ऑनलाइन सोशल साईटों पर कस्टमरों को गैम खेलने का झांसा देते थे

झूठी एफआईआर लिखने पर एस.पी को हाईकोर्ट की फटकार

जोधपुर, (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने बाड़मेर कोतवाली थाने में दर्ज एक एफआईआर को फेक करार देते हुए बाड़मेर पुलिस अधीक्षक को फटकार लगाते हुए कोर्ट में हाजिर रहकर जवाब तलब किया है। साथ ही कहा है कि पुलिस अधिकारी आमजन के हितों की रक्षा के लिए है, उन्हें ये अधिकार नहीं है कि अपने व्यक्तिगत द्वेष के लिए झूठी एफआईआर दर्ज कर कानून हाथ में लें, उससे खेलने का अधिकार नहीं है। चाहे आरोपी की पूर्व में आपराधिक पृष्ठभूमि रही हो। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि तथ्यों को देखकर प्रतीत होता है कि बाड़मेर पुलिस ने अपने पद और पॉवर का इस्तेमाल कर झूठा मामला परिवादी पर थोपा है।

पूरा मामला पिछले साल 28 मार्च का है। पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर में बताया गया कि बाड़मेर शहर के राजकीय अस्पताल के आगे से दिनदहाड़े ब्लैक स्कॉर्पियो में सवार होकर आए कुछ बदमाशों ने एक युवक का अपहरण कर लिया, जिसकी तलाश में पुलिस के साथ बाड़मेर एसपी नरेंद्र सिंह मीणा खुद अपहृत युवक की दस्तयाब और आरोपियों को पकड़ने में लगे थे। इसी दौरान शहर के चौहटन चौराहे के पास बाड़मेर एसपी को एक ब्लैक कलर की बिना नंबरी स्कॉर्पियो गाड़ी दिखाई दी। गाड़ी को रुकवाने का प्रयास किया, लेकिन, ड्राइवर ने बाड़मेर एसपी और उसमें सवार ड्राइवर और गनमैन को जान से मारने की नियत से सरकारी वाहन को टक्कर मार दी। उसके बाद आरोपी स्कॉर्पियो लेकर फरार हो गया। बाद में पुलिस ने शहर से करीब 25 किलोमीटर दूर एक गांव में स्कॉर्पियो को बरामद कर लिया था। हालांकि, इस गाड़ी में सवार लोगों का अपहरण की वारदात से संबंध नहीं था। बरामद स्कॉर्पियो में शैलेन्द्र सिंह नाम के युवक के पहचान पत्र भी बरामद हुए थे। इसी आधार पर बाड़मेर एसपी के आदेश पर वाहन चालक की रिपोर्ट के आधार पर शैलेन्द्र सिंह के खिलाफ पुलिस थाना कोतवाली में मामला दर्ज किया गया, जिसके खिलाफ शैलेन्द्र सिंह ने हाईकोर्ट में अपील की थी, जिसके बाद कोर्ट ने एफआईआर नंबर 175/2024 पर कार्रवाई को स्थगित कर दिया है।

जोधपुर हाईकोर्ट के न्यायाधीश फरजंद अली ने पेश किए गए वीडियो फुटेज और तस्वीरों की जांच के बाद पाया कि वाहनों के बीच कोई टक्कर नहीं हुई थी। यह मामला झूठे सबूत गढ़ने का प्रतीत होता है। कोर्ट ने अपराध की संभावना को लेकर पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा और कोतवाली थानाधिकारी लेखराज सियाग को शपथ पत्र के माध्यम से स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों से पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू की जाए, मामले की अगली सुनवाई 28 जनवरी को होगी, जिसमें अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया गया है।

- एफआईआर को फेक करार देते हुए बाड़मेर एसपी को जवाब तलब किया

ई-मित्र कियोस्कों का निरीक्षण

भीलवाड़ा, (निसं)। जिले में आमजन को योजनाओं का लाभ और ई-मित्र कियोस्कों पर बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की टीम ने गुरूवार को ई-मित्र कियोस्कों का औचक निरीक्षण किया। संयुक्त निदेशक पवन नानकानी ने बताया कि निरीक्षण के दौरान जिले के चार ई-मित्र कियोस्क धारकों के यहां सेवाओं की दर सूची और को-ब्रांडेड बैनर नहीं पाए गए। नियमानुसार इन कियोस्क धारकों पर पेनल्टी लगाकर कार्यवाही की गयी। निरीक्षण के दौरान एसीपी (उपनिदेशक) आबिद हुसैन अंसारी और सूचना सहायक निरंजन खोईवाल भी उपस्थित थे।

कड़िया गैंग के अपराधियों को गिरफ्तार किया

मेड़ता सिटी, (निसं)। मेड़ता पुलिस ने कड़ियां गैंग के अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन अपराधियों का कई अपराधिक रिकॉर्ड पूर्व में भी दिल्ली, राजगढ़, मध्यप्रदेश, केकड़ी सहित कई जगह दर्ज है।

मेड़ता थानाधिकारी धर्मेश दायमा ने बताया कि मेड़ता निवासी नमिता टांक ने मेड़ता थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनसे कुछ महिलाएं बाजार में उनसे टकराई। टकराने के बाद उन्होंने देखा कि उनका पर्स जिसमें करीब 1800 रुपए थे गायब हो गया। जिसकी मेड़ता पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिस पर नागौर पुलिस अधीक्षक नारायण टोगश के निर्देश पर पालना करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार व मेड़ता पुलिस वृताधिकारी रामकरण मलिंडा के नेतृत्व में एक टीम तैयार की। टीम ने जगह-जगह सीसीटीवी फुटेज खंगाले जिसमें चार महिलाएं संध्गिध पाई गई, जिससे पूछताछ की और आधार कार्ड मांगा तो संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उनको पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया, जहां गहन पूछताछ पर उनका सम्बंध कड़ियां गैंग से निकला जो भीड़भाड़ इलाके, बस स्टैंड, मार्केट में जाकर अपने काम को अंजाम देते थे, जिनको पकड़े जाने पर पता चला कि इन पर काफी मुकदमे पूर्व में दिल्ली, मध्यप्रदेश सहित कई स्टेट में पहले ही हैं।

थानाधिकारी दायमा ने बताया कि आरोपी राधिका पत्नी चेतन चमार सिसोदिया निवासी कड़ियां, जुली पत्नी बादल, रामकली पत्नी मोहर, ज्योति पत्नी पदमसिंह को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से इनको पीसी रिमांड पर भेजा गया। इनको पकड़ने में मेड़ता थाने का मुख्य योगदान रहा।

मेड़ता पुलिस ने कड़िया गैंग के अपराधियों को गिरफ्तार किया है।

- अपराधियों पर दिल्ली, राजगढ़, मध्यप्रदेश, केकड़ी सहित कई जगह मामले दर्ज हैं

गैस सिलेंडर की सप्लाई ठप

अजमेर, (कासं)। उर्स के मौके पर दरगाह क्षेत्र के अंदरकोट में गैस सिलेंडर की सप्लाई ठप होने के कारण उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गैस एजेंसी संचालकों का कहना है कि पुलिस द्वारा गैस सप्लाई वाले वाहनों को रोके जाने पर समस्या खड़ी हुई है। गैस एजेंसी संचालक नवनीत सिंह चौहान का कहना रहा कि दरगाह वैकल्पिक मार्ग पर तैनात यातायात पुलिसकर्मी गैस सिलेंडर से भरे वाहनों को अंदरकोट क्षेत्र में प्रवेश नहीं होने दे रहे। इस कारण 6 जनवरी से क्षेत्र में सिलेंडर की सप्लाई नहीं हो पा रही है। चौहान का यह भी कहना है कि समस्या के समाधान के लिए स्थानीय जिला प्रशासन से गुहार लगाई गई थी लेकिन समाधान नहीं हो सका। अब शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद गैस सिलेंडर की सप्लाई सुचारू रूप से शुरू कर दी जाएगी। इधर गैस सप्लाई ठप होने की वजह से क्षेत्र के उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं ब्लैक में गैस सिलेंडर बेचने वालों की होड़ लगी है और इसका भार उपभोक्ताओं की जेबों पर पड़ रहा है।

कार में शराब तस्करी करते दो गिरफ्तार

पुलिस ने कार में शराब तस्करी करते दो आरोपितों को गिरफ्तार किया।

भीलवाड़ा, (निसं)। जिले की हमीरगढ़ थाना पुलिस ने कार में शराब तस्करी करते दो आरोपितों को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से कार व चार पेटी शराब जब्त की है।

हमीरगढ़ थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान हमीरगढ़ की ओर से आई एक स्वीफ्ट कार को रोका। तलाशी लेने पर उसमें चार पेटी शराब मिली, जिसे पुलिस ने कार सहित जब्त कर लिया। शराब की इन पेटियों में पव्वे भरे थे। पुलिस ने इस मामले में बीलिया कलां निवासी सांवरनाथ योगी (21) पुत्र शिवनाथ व धर्मराज गुर्जर (19) पुत्र किशन गुर्जर को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है।

अज्ञात युवक की सिर कुचली तीन दिन पुरानी लाश मिली

शरीर का कुछ हिस्सा जानवरों ने नौंच डाला था

भीलवाड़ा, (निसं)। जिले के हमीरगढ़ थाना क्षेत्र स्थित ईको पार्क के पास एक अज्ञात युवक की सिर कुचली। तीन दिन पुरानी लाश मिलने से सनसनी फैल गई। शरीर का कुछ हिस्सा जानवरों ने नौंच डाला था। ऐसे में शव की पहचान करना मुश्किल हो रहा है। पहचान के लिए शव अभी मोर्चरी में सुरक्षित रखवाया गया है।

हमीरगढ़ थाना प्रभारी दिलीप सिंह ने बताया कि ईको पार्क में मवेशी चराने गई महिलाओं ने बुधवार शाम एनिकट के नजदीक भैंरूजी के रास्ते पर स्थित खाई में एक युवक की लाश देखी, जो बदबू मार रही थी। महिलाओं ने इसकी जानकारी ईको पार्क गार्ड के जरिये हमीरगढ़ पुलिस को दी। इस पर थाना प्रभारी सिंह मय जाब्ता मौके पर पहुंचे और मौका स्थल का मौका मुआयना किया। वहां खाई में एक युवक की लाश पड़ी थी, जो दो से तीन दिन पुरानी होकर सड़-गल चुकी थी। उसका चेहरा कुचला हुआ था। शरीर का कुछ हिस्सा जानवरों ने नौंच डाला। सिंह ने बताया कि मामला प्रथमदृष्टया युवक की सिर कुचलकर हत्या करना प्रतीत हो रहा है। पहचान के बाद ही स्थिति साफ हो पायेगी। उन्होंने बताया कि मृतक की उम्र 25 से 30 साल के बीच की है। वह मेहंदी रंग का पायजामा और प्रिंटेड शर्ट पहने हैं। पुलिस ने शव को एमजी अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवाते हुये मृतक की पहचान के प्रयास शुरु कर दिए हैं।

हमीरगढ़ थाना क्षेत्र में एक अज्ञात युवक की लाश मिली।

अजमेर विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण तोड़े

पीड़ित ने आरोप लगाया कि एडीए द्वारा उसे कोई नोटिस नहीं दिया गया था

अजमेर, (कासं)। अजमेर विकास प्राधिकरण (एडीए) द्वारा गुरुवार को वैशाली नगर स्थित पेट्रोल पंप के सामने बने एक अवैध निर्माण पर पीला पंजा चला कर ध्वस्त कर दिया। यह कार्यवाही मार्गाधिकार नियमों के तहत की गई। प्राधिकरण की तहसीलदार सुनीता के नेतृत्व में अधिकारियों और भारी पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण हटाया। वहीं पीड़ित ने आरोप लगाया कि एडीए द्वारा उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया और कार्यवाही अंजाम दी।

अजमेर विकास प्राधिकरण के मीडिया प्रभारी व उपायुक्त सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि गुरुवार को वैशाली नगर स्थित पेट्रोल पंप के सामने बने एक अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्वाई की गई है। कार्वाई के दौरान भारत गैस गोदाम के आगे बने एक आवासीय मकान का लगभग 10 फीट हिस्सा गिराया गया। मकान मालिक मनोज का कहना है कि उनके पास 1987 में नगर सुधार न्यास द्वारा स्वीकृत नक्शा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्राधिकरण ने बिना किसी पूर्व नोटिस के कार्वाई कर रहे हैं। इस कार्वाई को लेकर मकान मालिक में आक्रोश है। मकान मालिक मनोज ने कहा कि उन्हें कोई सूचना या नोटिस नहीं दिया गया। यह कार्वाई पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है, मेरे पास निर्माण का वैध नक्शा है। वहीं मीडिया प्रभारी शर्मा ने बताया कि मनोज डिडवानिया के पास 1097 वर्गगज भूमि आवंटन की गई थी, मौके पर इसके अलावा अवैध कब्जा भी किया गया था, जिसे आज ध्वस्त कर दिया गया।

गौरतलब है कि पिछले दिनों प्राधिकरण और नगर निगम ने भी क्षेत्र में अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए कई भवनों को सीज किया था। यह कार्वाई उसी अभियान का हिस्सा मानी जा रही है। इस दौरान भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी, ताकि किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। मौके पर मौजूद प्राधिकरण की तहसीलदार सुनीता ने कार्वाई को लेकर कुछ भी कहने से इंकार कर दिया।

एडीए ने जेसीबी से मकान की दीवार को ध्वस्त किया।

- एडीए द्वारा यह कार्यवाही मार्गाधिकार नियमों के तहत की गई